रक्षा सम्पदा संगठन
Defence Estates Organisation

Web: www.cbmathura.org
Email: cbmathura@dgest.org
Phone: 0565-2470178
Fax: 0565-2471623

छावनी परिषद, मथुरा
CANTONMENT BOARD, MATHURA

Old Sister Mess Road, Near Regimental Bazar, Mathura Cantt-281001 (U.P.)

पत्रांक : छा.प.म. / आर.टी.आई–05 / 542 / 290 दिनांक: 11 जून, 2018

श्री तोताराम
निवासी सी.बी.एम. क्वार्टर सं0 10ए
बाड़ा परिसर, मथुरा छावनी।

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत सूचना मांगने के सम्बन्ध में।

यह आपके आवेदन दिनांक 20.05.2018 सूचना की मांग के अनुरोध के प्रसंग मे हैं।

2. उपरोक्त संदर्भित आवेदन में मांगी गयी सूचना का विवरण निम्न प्रकार है:–

बिन्दु 1 – छावनी परिषद मथुरा के सर्वे सं0 221 पर कुल 07 प्राइवेट कालोनी हैं, जो निम्न प्रकार है:–

1) चन्दनवन कालोनी फेस – 1
2) मोतीकुंज कालोनी
3) मोतीकुंज एक्सटेंशन कालोनी
4) रेलवे कालोनी
5) हनुमान नगर कालोनी
6) राजाराम पट्टी
7) मयूर विहार कालोनी

बिन्दु 2 – चन्दनवन कालोनी फेस–1, मथुरा छावनी का ले–आउट प्लान सीबीआर सं0 11 दिनांक 04.11.1987 के द्वारा स्वीकृत किया गया है। बोर्ड के प्रस्ताव की छायाप्रति कार्यालय मे निर्धारित शुल्क रू0 2 प्रति पेज की दर से जमा कर प्राप्त कर सकते हैं।

बिन्दु 3 – इस बिन्दु मे मांगी गयी जानकारी हेतु आप कार्यालय मे उपलब्ध रिकॉर्ड का निरीक्षण कर प्राप्त कर सकते हैं एवं निर्धारित शुल्क रू0 2 प्रति पेज की दर से जमा कर छायाप्रति प्राप्त कर सकते हैं।

बिन्दु 4 – छावनी परिषद मथुरा की सर्वे सं0 221 पर निर्मित कालोनियों मे सभासद का चुनाव सन् 1992 से प्रारम्भ हुआ एवं तत्कालीन निर्वाचित सभासद श्री छीतर सिंह हुए।

बिन्दु 5 – छावनी परिषद मथुरा की सर्वे सं0 221 पर निर्मित कालोनी के निवासियों के जन्म–मृत्यु प्रमाण पत्र इस कार्यालय द्वारा जारी किये जा रहे हैं।

क्रमशः पेज .... 02 पर

बिन्दु 6 व 7 – इस बिन्दु मे मांगी गयी जानकारी निम्न प्रकार है :–

क. **व्यापार एवं वृत्ति कर :**

1) वर्ष 2000–2001 मे 48 केस व्यापार एवं वृत्ति कर के न्यायालय भेजे गये थे उसमे से 02 केस बकायेदारों से पैसा अभी वसूल नहीं हुआ है।

2) 2001–2002 मे व्यापार एवं वृत्ति कर के 26 केस वसूली हेतु न्यायालय भेजे गये थे जिसमे से सभी से पैसार वसूल हो चुका है।

3) वर्ष 2009 मे 58 केस वसूली हेतु न्यायालय भेजे गये जिसमे से 06 बकायेदारों से पैसार वसूल हो चुका है 52 बकायेदार अभी भी शेष हैं।

4) वर्ष 2010 मे 32 केस वसूली हेतु न्यायालय भेजे गये, जिसमे से 08 बकायेदारों से पैसार वसूल हो चुका है 24 बकायेदार अभी भी शेष हैं।

ख. **गृहकर एवं सफाई कर आदि :**

1) वर्ष 2003 मे गृहकर एवं सफाईकर आदि के 81 केस वसूली हेतु न्यायालय भेजे गये थे जिसमे से 75 बकायेदारों से पैसा वसूल हो चुका है 06 बकायेदार अभी भी शेष हैं।

2) वर्ष 2011 मे 74 केस गृहकर एवं सफाईकर आदि के वसूली हेतु न्यायालय भेजे गये थे जिसमे से 44 बकायेदार से पैसा वसूल हो चुका है 30 बकायेदार अभी भी शेष हैं।

3) वर्ष 2012 मे 03 केस वसूली हेतु भेजे गये थे जो कि अभी भी न्यायालय मे लम्बित है।

आप बकायेदारों की सूची का निरीक्षण कार्यालय के कर अनुभाग में कर सकते हैं।

बिन्दु 8 – छावनी परिषद, मथुरा के सर्वे सं0 221 मे निर्मित प्राइवेट कालोनियों मे सफाई व्यवस्था निदेशालय के पत्र सं0 33865 / एलसी 7 दिनांक 07.08.2002 के द्वारा प्राप्त स्वीकृति के क्रम में बोर्ड के प्रस्ताव सं0 54 दिनांक 13.08.2002 के द्वारा लागू की गयी है। सफाई व्यवस्था पर प्रतिवर्ष व्यय की जानकारी हेतु आप कार्यालय के लेखा अनुभाग मे सम्बन्धित दस्तावेजों का निरीक्षण कर प्राप्त कर सकते हैं।

3. उपरोक्त सन्दर्भ में उक्त अधिनियम के अन्तर्गत अपील, यदि कोई है, इसकी प्राप्ति की तिथि से 30 दिन के अन्दर इस कार्यालय के अपीलीय अधिकारी श्री नीरज जैन, मुख्य अधिशासी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

देवेन्द्र सिंह
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
छावनी परिषद, मथुरा।